<u>परामर्श संख्या – 3</u>

सं॰ - ए - 110012/08/2020 /सी.ए.क्यू एम. -आर. डी.- 108-109
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षत्रों में,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

इंडियन आयल भवन, 1, श्री औरोबिन्दो मार्ग,

युसूफ सराय, नई दिल्ली-110016

दिनांक: 22, फ़रवरी, 2021

सेवा में,

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण

<u>आयोग की ओर से परामर्श</u>

विषय : सड़क व सड़क के साथ खुले क्षेत्रों आदि में धूल प्रदूषण को कम करना: सड़क मालिक / सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ " का गठन |

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया जा चुका है और भारत सरकार, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा (2020 की संख्या 13), 28 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचित किया गया |

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 की धारा 3 की उप धारा (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जो कि कथित अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे दिए गए कार्यों को करेगा|

परामर्श संख्या – 3

3. आयोग के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकारों के साथ कार्यों का समन्वय करना, वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन , वायु गुणवत्ता के लिए मापदंड निर्धारित करना, एमिशन थ्रेशोल्ड सीमा का मापदंड निर्धारित करना और वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों को उन क्षेत्रों में छितराव जहाँ कोई उद्योग, परिचालन या प्रक्रियाएं या उद्योगों का वर्ग जिनका क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, उनको प्रतिबंधित करना और देखरेख करना, परिसर, संयंत्र , उपकरण , उत्पादन इकाई का निरीक्षण करना, क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने व नियंत्रित करने के लिए नियमावली, संहिता, दिशा-निर्देश तैयार करना आदि शामिल हैं|

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निटकवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिनांक 20.01.2021 को आयोजित दूसरी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, सड़क पर धूल की समस्या की समीक्षा की जो कि प्रदूषण का एक बड़ा श्रोत हैं, जो पी. एम. 10 और पी. एम. 2.5 पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter) के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं| धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती रही हैं और एनसीआर में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है| आयोग का यह विचार था कि सड़क मालिक एजेंसियों और सड़क मार्ग निर्माण एजेन्सियाँ को पहले से आदेश दिए गये विभिन्न धूल नियंत्रण उपायों की देख रेख एवं प्रभावी ढंग से लागू करनें में बड़ी भूमिका निभानी है |

5. आयोग ने, इसलिए 20.01.2021 को आयोजित बैठक में संकल्प लिया कि सभी राज्यों / जीएनसीटीडी की सड़क मालिक / सड़क निर्माण एजेंसियों को परामर्श दिया जाए कि वे एनसीआर में चलाई जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं देखरेख के लिए "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ " का गठन करें | जिसका मुख्य कार्य, धूल नियंत्रण उपायों की, प्रभावी देखरेख एवं कार्यान्वयन होगा|

<u>परामर्श संख्या – 3</u>

6. आयोग के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों/ जी.एन. सी. टी. डी. को परामर्श दिया गया है कि वे नगरपालिका निकायों सहित सभी सड़क मालिक / सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दें कि वे एनसीआर में चल रही परियोजनाओं के लिए, "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन समिति" का गठन करके उसको सक्रिय करें|

7. इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपके संगठन द्वारा चलाई जा रही सड़क परियोजनाओं के लिए " धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ" का गठन करके उसे सक्रिय बनायें

8. इस मामले में की गई कार्रवाई से आयोग को एक पखवाड़ा में सूचित किया जाए |

भवदीय

हस्ता०

(राजेश कुमार)
सचिव, सी. ए. क्यू. एम. एवं. ए.ए.
rajesh.k64@gov.in
Tele. No. 011-20861978